(604)

[illegible] नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।
आवक क्रमांक 9759
दिनांक 26

5044/ 31/5

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/18656 जयपुर, दिनांकः 25/5/17

आदेश

विषयः— आवासीय/व्यावसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना एवं शिविरो के प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन बाबत्।

नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आवासीय/व्यावसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना एवं शिविरो के प्रभावी संचालन एवं कियान्वयन के संबंध में आदेश कमांक प.2(30)नविवि/3/2016—पार्ट/1516—30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 3 में सिवायचक भूमियों पर दिनांक 15.08.2009 तक 300 वर्गगज क्षेत्रफल तक की सीमा तक अनाधिकृत आवासीय निर्माणो का नियमन करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.2(30)नविवि/3/2016—पार्ट/ दिनांक 11.05.2017 जारी किया जाकर बिन्दु संख्या 2 में 300 वर्गमीटर तक राजकीय भूमि के नियमन बाबत् पूर्व में जो दिशा-निर्देश जारी किये गये है, उन्हें प्रत्याहारित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.2(30)नविवि/3/2015—पार्ट/ 1516—30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 1 के खण्ड (iv) में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आई योजना के मध्य स्थित राजकीय भूमि/राजकीय भूमियों पर बसी कॉलोनियों का नियमन करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.2 (30)नविवि/3/2016—पार्ट/ दिनांक 11.05.2017 जारी किया जाकर बिन्दु संख्या 5 में निर्देशित किया गया कि योजना क्षेत्र में कोई भी सरकारी जमीन आ रही हो, तो शिविर/मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि के दौरान नियमन/आवंटन नहीं किया जावेगा। किसी अन्य पॉलिसी, पृथ्वीराज नगर/टाउनशिप पॉलिसी में यदि इस बाबत् कोई प्रावधान है, तो विहित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जावेगी।

राज्य सरकार द्वारा व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये आदेश कमांक प.2 (30)नविवि/3/2016 दिनांक 11.05.2017 के बिन्दु संख्या 2 को प्रत्याहारित करते हुये निर्देश प्रदान करती है कि पूर्व आदेश प.2(30)नविवि/3/2016—पार्ट/1516—30 दिनांक 25.4.2017 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार दिनांक 15.08.2009 तक 300 वर्गगज तक के सिवायचक/राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणो का नियमन किया जावे।

इसके साथ ही उक्त आदेश दिनांक 11.05.2017 के बिन्दु संख्या 5 को प्रतिहारित करते हुये राज्य सरकार एतत्द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 1 (iv) के अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आई योजना के मध्य स्थित राजकीय भूमि/राजकीय भूमियों पर बसी कॉलोनियो का नियमन करने का निर्देश प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुकेश कुमार मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव